संख्या-39/2026/558 के-2/22-3-2025-17(1115)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कम्मोद पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कम्मोद पुत्र श्री तेज सिंह, जो ग्राम-सोरा, थाना-सैंया, जनपद-आगरा का निवासी है। बन्दी द्वारा विवादित जमीन पर टेलीफोन का खम्भा गाड़ने के विवाद को लेकर दिनांक 29-01-1997 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-219/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-11, आगरा के दण्डादेश दिनांक 11.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 29.04.2023 तक 05 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बंदी की आयु लगभग 66 वर्ष, 08 माह है।

पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध कारित करने का अवसर होने, आपराधिक प्रवृत्ति का होने, जेल से रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी कम्मोद पुत्र श्री तेज सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण् पर विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की 66 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा अपरिहार 05 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की भोगी गयी सजा तथा अपर पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कम्मोद (बंदी संख्या-17791) पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी जनपद-आगरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।